न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी
बइजलास – डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 19 / 2022

वादीनी	बनाम	प्रतिवादी
कानी पत्नि खीयाराम जाति– विश्नोई, निवासी– कालीराणा नगर, भोजासर तहसील फलोदी जिला– जोधपुर		जोराराम पुत्र खीयाराम जाति– विश्नोई, निवासी– कालीराणा नगर, भोजासर तहसील फलोदी जिला– जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री उगराराम उदाणी अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री हितेश जैन अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 18/10/22

वाद के संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पुराना राजस्व गांव भोजासर नया राजस्व गांव कालीराणा नगर पटवार क्षेत्र भोजासर तहसील फलोदी में खेत खसरा नम्बर 195/1 रकबा 12 बीघा वादीनी के पुत्र भगवानाराम पुत्र खीयाराम के खातेदारी में आई हुई थी। उक्त भूमि के खातेदार भगवानाराम के लाऔलाद फौत होने पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान् में एक मात्र वारिसान् भगवानाराम की माता वादीनी ही थी और भगवानाराम के खातेदारी की भूमि का नामांतरकरण भगवानाराम की माता के नाम ही भरा जाना चाहिये था। चूंकि राजस्व कर्मचारियों की भूल से उन्होंने भगवानाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान् उनकी माता वादीनी के होते हुवे भी उनके नाम नामांतरकरण नहीं भरकर मृतक का भाई होना बताते हुवे जोराराम के नाम हल्का पटवारी ने नामांतरकरण संख्या 782 भरा जाकर स्वीकृत कर दिया। उसके बाद जोराराम का नाम बदस्तुर चला आ रहा है। जबकि जोराराम का इस भूमि से कोई लेना देना नहीं है न ही वह मृतक भगवानाराम का प्रथम श्रेणी का वारिसान् ही था। उक्त भूमि की वादीनी एक मात्र हकदार थी और इसलिये वादीनी के नाम से ही मृतक भगवानाराम की उक्त भूमि का नामांतरकरण वादीनी के नाम से ही जाना चाहिये था लेकिन जोराराम का नाम भरा जाने से वादीनी अपने हक हिस्से से वंचित हो गई। वादीनी ने पूर्व में प्रतिवादी को उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने को कई बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी हर बार टालमटोल करता रहा और अभी दिनांक 10.04.2021 को जब वादीनी ने पुनः प्रतिवादी को आपसी सहमति से उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी इन्कार हो गया और वादीनी को धमकी दी कि उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में मेरे नाम से दर्ज है इसलिये मै उक्त भूमि को बेचान कर खुर्द बुर्द कर दूंगा। व्यवहाकरण वादीनी को तब पैदा हुआ जब उसके पुत्र भगवानाराम के लाऔलाद फौत होने पर उसके नाम की उक्त भूमि में उसके पुत्र भगवानाराम फौतेदगी नामांतरकरण प्रतिवादी के नाम भरा जाकर स्वीकृत किया जाने पर और अभी दिनांक 10.04.2021 को प्रतिवादी द्वारा आपसी सहमति से वादीनी को उक्त भूमि उसके नाम दर्ज करवाने से इन्कार करने पर बमुकाम ग्राम कालीराणा नगर, पटवार क्षेत्र भोजासर तहसील फलोदी जिला जोधपुर में पैदा है जो आज दिन तक लगातार जारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया गया प्रतिवादी की तरफ अधिवक्ता हितेश जैन उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तथा प्रतिवादी अधिवक्ता ने बताया कि दोनो पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो गया है। प्रतिवादी स्वंय उपस्थित हुए है उन्होंने वाद वादीनी स्वीकार किये जाने पर कोई एतराज नहीं बताया। अतः वादीनी का वाद जरीये राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वादी का वाद जरीये राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम कालीराणा पटवार क्षेत्र भोजासर तहसील फलोदी में खेत खसरा नम्बर 195/1 रकबा 12 बीघा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादी के नाम को विलोपित किया जाकर वादीनी कानी पत्नि खीयाराम को काश्तकार घोषित किया जाता है माफिक आदेश डिकि पर्चा अलग से मुर्तिब हो। तहसीलदार फलोदी को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक,
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), फलौदी

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) फलौदी
बइजलास डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)

वादीनी
कानी पत्नि खीयाराम
जाति– विश्नोई,
निवासी– कालीराणा नगर,
भोजासर तहसील फलोदी
जिला– जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी
जोराराम पुत्र खींयाराम
जाति– विश्नोई,
निवासी– कालीराणा नगर,
भोजासर तहसील फलोदी
जिला– जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 19 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री गंगाराम प्रजापत अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम कालीराणा पटवार क्षेत्र भोजासर तहसील फलोदी में खेत खसरा नम्बर 195 / 1 रकबा 12 बीघा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादी के नाम को विलोपित किया जाकर वादीनी कानी पत्नि खीयाराम को काश्तकार घोषित किया जाता है माफिक आदेश डिकि पर्चा अलग से मूर्तिब हो। तहसीलदार फलोदी को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है मुतालिक

बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें। वसूली याबी तक बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 10 सन 22 को जारी की गई।

दस्तखत
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड दण्डनायक
ओहदा
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

मोहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–

नोट– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न हो दर्ज किया जावें।